राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

बैंक ऑफ इंडिया, भवन तृतीय तल,
अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रं./एन.एच.एम./ शिशु स्वास्थ्य पोषण/ 2015/ 3136 — भोपाल, दिनांक 20/03/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल, मध्यप्रदेश

विषय : पोषण पुर्नवास केन्द्रों में अनिवार्य बाल्य कालीन क्षय रोग की जॉच बावत।

संदर्भ : कार्यलयीन पत्र क्रं./शिशु स्वास्थ्य पोषण/एन.एच.एम./2014/10835 दिनांक 10.12.2014

****

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा पोषण पुर्नवास केन्द्र में बाल्य कालीन क्षय रोग की जॉच हेतु अनिवार्यतः Mantoux Test किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विगत माह में आयोजित संभागवार समीक्षा बैठको में यह परिलक्षित हुआ है कि पोषण पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती बच्चों में बाल्य कालीन क्षय रोग की जॉच नहीं की जा रही है एवं पुष्टि हेतु Mantoux Test एवं चिकित्सकीय परामर्श अनुसार Chest X-ray नहीं किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि:–

- गंभीर कुपोषित बच्चों में समान्य बच्चों की तुलना में 9 गुना मृत्यु का खतरा होता है।
- बाल्य कालीन क्षय रोग कुपोषण के अन्तर्निहित कारणो में से एक है एवं समय रहते पहचान एवं उपचार न मिलने से गंभीर कुपोषित बच्चों में मृत्यु की संभावना अत्यधिक हो जाती है।

अतः उपरोक्त के तारतम्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि:–

- **पोषण पुर्नवास केन्द्र में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों में अनिवार्यतः Mantoux Test की जाये। यह जॉच अनिवार्य निः शुल्क जॉचों में से एक है।**
- **किसी भी दशा में Mantoux Test Reagent की संस्थान में अनुपलब्धता होने पर स्थानीय स्तर पर क्रय कर इसकी प्रतिपूर्ति पोषण पुर्नवास केन्द्र की वार्षिक प्रबंधन राशि से की जाये।**
- **Mantoux Test प्रशिक्षित लैब टेक्निशियन अथवा ए.एन.एम. द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित करें।**
- **Mantoux Test पॉजिटिव गंभीर कुपोषित बच्चों में चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–**
  1. Chest X-ray 2. Reverse contact tracing 3. Bacteriological examination
- **बाल्य कालीन क्षय रोग की पुष्टि होने पर चिन्हांकित बच्चों में निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार Pediatric DOTS Treatment तत्काल प्रारंभ किया जाये।**

उपरोक्त निर्देशो हेतु जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पोषण सलाहकार एवं संबंधित पोषण पुर्नवास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक जवाबदेह होगे। राज्य स्तर से दिये गये उक्त निर्देशो की अवहेलना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम/ शिशु स्वास्थ्य पोषण /2015/ — भोपाल, दिनांक /03/2015

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम., मध्य प्रदेश।
4. संयुक्त संचालक, आर.एन.टी.सी.पी. मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. पोषण विशेषज्ञ यूनिसेफ भोपाल।
8. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
10. समस्त, जिला कार्यकम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
11. समस्त, जिला पोषण सलाहकार, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

//
मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश